संख्या-7/2016/2763/71-1-2015-जी-252/2015

प्रेषक

जयवीर सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 18 जनवरी, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, इलाहाबाद, झॉसी, मेरठ, आजमगढ़ एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों हेतु विभिन्न् मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/562, दिनॉक 15-12-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत जिला स्नातकों के लिए अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप छात्रवृत्तियां तथा मेडिकल कालेज, आजमगढ़ एवं मेडिकल कालेज, गोरखपुर में विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 4,56,96,000/- (रू0 चार करोड़ छप्पन लाख छियानबे हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, इलाहाबाद, झॉसी, मेरठ, आजमगढ़ एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों हेतु विभिन्न् मानक मदों में कुल रू0 4,56,96,000/- (रू0 चार करोड़ छप्पन लाख छियानबे हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादित सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-311/दस-2016, दिनॉक 12 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

( जयवीर सिंह )
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 7/2016/2763(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ, आजमगढ़।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ, आजमगढ़।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ, आजमगढ़।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( जयवीर सिंह )
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।